भाग I

आयात के दस्तावेजी सबूत पेश करने में चूक करने वाले आयातकों से संबधित जानकारी

क्रम संख्या	आयातक/ निर्यातक कूट सं	आयातक का नाम और पता	आयात लाइसेंस की सं. और तारीख अगर हो	मालों का संक्षिप्त वर्णन	प्रेषण / भुगतान की तारीख	करेंसी और राशि	समकक्ष रुपये	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सरकारी विभागों के अलावा अन्य पार्टियों द्वारा आयात								
1								
2								
3								
4								
आदि								
आ : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सरकारी विभागों द्वारा आयात								
1								
2								
3								
4								
5								
आदि								

भाग II

पूर्ववर्ती बीईएफ विवरण/विवरणों के भाग I में सूचित आयातकों से बाद में प्राप्त आयात के दस्तावेज़ी साक्ष्यों के संबंध में जानकारी

क्रमांक	आयातक का नाम और पता	बीईएफ विवरण की अवधि और पूर्ववर्ती बीईएफ विवरण की भाग-I में रिपोर्ट किए गए लेनदेन की क्रम सं.	प्राप्ति -तारीख	प्रेषण की राशि		टिप्पणी
				करेंसी और राशि	समतुल्य रुपये	
1	2	3	4	5		6
अ: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सरकारी विभागों से इतर अन्य पार्टियों द्वारा आयात						
1						
2						
3						
4						
आदि						
आ : : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सरकारी विभागों द्वारा आयात						
1						
2						
3						
4						
5						
आदि						

टिप्पणी : पिछले अर्ध वर्ष के दौरान बीईएफ विवरण के भाग II में रिपोर्ट किए गए लेनदेनों को चालू अर्ध वर्ष के भाग II में दुबारा न रिपोर्ट न किया जाए ।

प्रमाणपत्र

i	हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमारे रिकार्ड के अनुसार उक्त जानकारी सत्य और सही हैं ।
ii	इसके अतिरिक्त हम यह भी प्रमाणित करतें हैं कि निर्धारित प्रणाली के अंतर्गत रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक सभी मामलों को विवरण में शामिल किया गया है।
iii	हम वचन देते हैं कि विवरण के भाग I में रिपोर्ट किए गए मामलों के बारे में आयातक से पूछताछ जारी रखेंगे।

(प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर)

स्टैंप

स्थान :

तारीख :

नाम :

पदनाम :

अनुबंध- 2

[मार्च 02, 2007 का ए.पी. (डीआइआर सिरीज़ सं.34]
मास्टर परिपत्र का भाग III का पैरा 1 देखें

... ... को समाप्त अवधि के लिए कच्चे हीरों के आयात हेतु 5 मिलियन अमरीकी डॉलर के समकक्ष या उससे अधिक अग्रिम राशि के लिए बगैर बैंक गारंटी अथवा स्टैंडबाइ लेटर ऑफ क्रेडिट के अग्रिम प्रेषण को दर्शानेवाला विवरण

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक का नाम :

प्राधिकृत व्यापारी कूट (14 अंकों में) :

क्रम सं.	कंपनी का नाम	आयातक कंपनी का नाम और आईईसी स.	बैंक गारंटी/ स्टैंडबाइ लेटर ऑफ क्रेडिट के बगैर किए गए अग्रिम भुगतान की राशि	क्या आयात के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं
1.	डायमंड ट्रेडिंग कंपनी प्रा.लि., यू.के.			
2.	रिओ टिंटो, यू.के.			
3.	बीएचपी बिल्लिटोन, ऑस्ट्रेलिया			
4.	इंडियामा ई.पी. अंगोला			
5.	अलरोसा, रूस			
6.	गोखरन, रूस			

बैंक के प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर

तारीख :

स्टाम्प :

अनुबंध- 3

[एपी (डीआरआर सिरीज़) परिपत्र सं.2 जुलाई 9, 2004]
ज़्मास्टर परिपत्र का भाग III का पैरा 15इ देखें

_____ को समाप्त माह के दौरान आयातित स्वर्ण का विवरण

बैंक का नाम :

विवरण की तारीख :

		लेनदेनों की सं.		आयातित सोने का मूल्य			
		निर्यात उन्मुख इकाई/ विशेष आर्थिक क्षेत्र	नामित एजेंसी/ बैंक	(मिलियन अमरीकी डॉलर में)		(करोड़ रुपए में)	
				निर्यात उन्मुख इकाई / विशेष आर्थिक क्षेत्र	नामित एजेंसी/ बैंक	निर्यात उन्मुख इकाई / विशेष आर्थिक क्षेत्र	नामित एजेंसी/ बैंक
सोना							
(i)	भुगतान पर सुपुर्दगी आधार						
(ii)	आपूर्तिकर्ता ऋण आधार						
(iii)	परेषण आधार						
(iv)	अनिर्धारित मूल्य आधार						

टिप्पणी : 1. ऐसे मामलों में लेनदेनों के पूरे विवरण दिए जाएं जहां एकल निर्यातक के लेनदेनों की संख्या एक माह में 10 लेनदेन अथवा आयात का सकल मूल्य 50 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक हो जाता है।

2. विशेष आर्थिक क्षेत्र में निर्यात उन्मुख इकाई/ इकाइयों और नामित एजेंसियों के ब्योरे अलग से दिए जाएं ।

अनुबंध-4

फार्म-अ 1 -अनिवासी बैंक के भारतीय रुपया खाते के अंतरण हेतु आवेदनपत्र

(हल्के नीले कागज पर छापा जाये)

ए.डी.कोड नंबर ----------

फार्म नंबर ----------

(प्राधिकृत व्यापारी द्वारा भरा जाये)

फार्म-अ 1

(केवल आयात भुगतानों के लिए)

संख्या---------- -------- ----------**भारतीय रुपया खाते** की ----- ---------- रुपये की राशि के **अनिवासी बैंक खाते** में अंतरण हेतु आवेदनपत्र		क्रमांक ----------(प्राधिकृत व्यापारी द्वारा भरा जाये)
		(भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयोगार्थ)
		प्रेषित राशि ---------- ----------
		करेंसी राशि
		----------रुपये के सममूल्य ----------(प्राधिकृत व्यापारी द्वारा भरा जाये)

मैं/हम ----------बैंक में रखे गये श्री ----------के खाते से
(प्रेषक का खाता रखने वाला प्राधिकृत व्यापारी बैंक) (प्रेषक का नाम तथा पता)
---------- बैंक में रखे गये खाते में (अनिवासी बैंक खाते का पूरा नाम जिसमें राशि जमा की गयी है,निवासी देश का उल्लेख किया जाये)
रु.---------- राशि अंतरित करना चाहता हूँ जो कि भारत को आये आयातों के भुगतान जिनका ब्योरा नीचे दिया गया है, के लिये है ,
---------- (प्रेषण के हिताधिकारी का नाम तथा पता)

भारत में आयात किये गये अथवा किये जाने वाले माल के ब्यौरे

सेक्शन-अ - आयात लाइसेंस के ब्यौरे

आयात लाइसेंस							जारी करने की तारीख			समाप्ति तारीख			लाइसेंस का अंकित मूल्य	परांकित की जाने वाली राशि (रु.) @
प्रीफिक्स		लाइसेंस नं.	सफिक्स											
1	2		1	2	4	5	तारीख	माह	वर्ष	तारीख	माह	वर्ष		

@ प्रत्येक लाइसेंस में के लिए रुपयों मे परांकित की जाने वाली वास्तविक राशि इस कॉलम में दर्शायी जाये ।

टिप्पणी : यदि एक से अधिक लाइसेंस हों, तो लाइसेंस के ब्योरे दिये जायें । यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग से विवरण दिया जाये । प्रत्येक लाइसेंस में प्रयुक्त राशि दर्शायी जाये।

सेक्शन-आ - आयात के ब्यौरे

बीजक के ब्यौरे				माल की मात्रा	माल का ब्योरा	वर्गीकरण की सामंजस्य पूर्ण प्रणाली	किस देश का माल है	किस देश से माल भेजा गया है	माल के शिपमेंट का साधन(वायुयान, जलयान, डाक, रेलवे, नौका, ट्रक, बंदरगाह) मात्रा	शिपमेंट की तारीख
क्रमांक व तारीख	शर्ते (सं.एफओबी, सी एंड एफ आदि)	करेंसी	राशि							

सेक्शन-इ - अन्य ब्यौरे

1.	**आयात संविदा के तहत बुक किये गये वायदा क्रय संविदा के ब्योरे**	_____ **(संविदा का क्रमांक तथा तारीख)**	_____ **(संविदा की राशि तथा करेंसी)**	_____ **(आयात संविदा के तहत अवशेष)**
2.	**यदि विप्रेषण की राशि बीजक की राशि से कम हो तो उसके कारण (आंशिक विप्रेषण, किस्त आदि)**	_____ _____		

मैं/ हम घोषित करता हूँ/ करते हैं कि इस फार्म में किये गये कथन सत्य और सही हैं और मैनें /हमने किसी अन्य बैंक के जरिये अधिकारपत्र जारी करने हेतु आवेदनपत्र नहीं दिया है ।
मैं/ हम जानता और समझता हूँ/ जानते और समझते हैं कि इस आवेदनपत्र के द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा जिस प्रयोजन हेतु ली गयी है , उसी पर व्यय की जायेगी और जिन शर्तों के अधीन दी गयी है , उनका अनुपालन किया जायेगा ।

		आवेदक /प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
मुहर	@	आवेदक का नाम व पता ----------
		आयातक का कोड नंबर ----------
	@	राष्ट्रीयता ----------
तारीख ----------	@	साफ अक्षरों में भरा जाये ----------

टिप्पणी : मध्यवर्ती व्यापार हेतु किये जाने वाले विप्रेषणों के लिए फॉर्म अ 2 प्रयोग किया जाये ।

आवेदक द्वारा दिया जाने वाला घोषणापत्र

मैं/ हम घोषित करता हूँ/ करते हैं कि

(क) आयात लाइसेस जिस पर / जिन पर विप्रेषण मागा गया है , वैध है और विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा निरस्त नहीं किया गया है ।

(ख) माल जिससे कि यह आवेदनपत्र संबंधित है, हमारी जिम्मेदारी पर भारत को आयात कर दिया गया है */आयात कर दिया जायेगा */।

(ग) आयात @----------की ओर से किया जा रहा है और

(घ) माल की बीजक में अंकित कीमत जो कि इस फॉर्म में घोषित की गयी है , भारत में

*आयात की गयी * आयात की जाने वाली	**माल की वास्तविक कीमत है ।**	
यदि आयात किया गया है	मैं /हम इसके साथ प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत कर रहे हैं ।	कस्टम विभाग की मुहर लगे संबंधित बिल ऑफ एंट्री * की प्रति डाक पार्सल लिफाफा (डाक द्वारा आयात के लिए) * /कुरियर(/कुरियर द्वारा आयात के लिए) अथवा
यदि आयात किया जाना है	मैं वचन देता हूँ/हम वचन देते हैं कि तीन माह के भीतर प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत कर देंगे ।	कस्टम विभाग की मुहर लगे संबंधित बिल ऑफ एंट्री * की प्रति डाक पार्सल लिफाफा (डाक द्वारा आयात के लिए) * /कुरियर(/कुरियर द्वारा आयात के लिए) अथवा

जो मदें लागू न हों , उन्हें काट दें ।

@ जहाँ आयात केंद्र/ राज्य सरकार के विभाग अथवा केंद्र/ राज्य सरकार/सांविधिक निगम, स्थानीय निकाय के स्वामित्व वाली कंपनी की ओर से किया जा रहा हो , सरकार के विभाग , निगम आदि के नाम का उल्लेख किया जाये ।

तारीख ----------

(आवेदक /प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

प्राधिकृत व्यापारी के अभिमत के लिए स्थान

भारतीय रिजर्व बैंक को अनुमोदन हेतु आवेदनपत्र भेजते समय विदेशी मुद्रा नियंत्रण मैनुअल के पैराग्राफ/ एडी परिपत्र आदि संदर्भ जिनके अंतर्गत मामला प्रेषित किया गया है , उनका अनिवार्यतया उल्लेख किया जाये ।यदि कोई विप्रेषण आवेदनपत्र एक ही आयात के लिए भेजा भारतीय रिजर्व बैंक को पहले ही भेजा जा चुका हो तो लिखे गये अंतिम पत्र/ अनुमोदन का उल्लेख किया जाए ।

		प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
मुहर		प्राधिकृत व्यापरी का नाम व पता ----------
तारीख ----------		

प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा जमा किया जाने वाला प्रमाणपत्र (आयातक का बैंक)

हम प्रमाणित करते हे हैं कि ;

(क) यह भुगतान

उपयुक्त खाने में सही का निशान लगायें	(i)		**यह एक अग्रिम भुगतान है ।**	
	(ii)		**हमारे द्वारा जारी साखपत्र के तहत बिल का भुगतान है ।**	
	(iii)		**हन्मारे माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों पर भुगतान है ।**	
	(iv)		**आवेदक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करने पर कि वह तीन माह के भीतर कस्टम - विभाग की मुहर लगी विदेशी मुद्रा नियंत्रण की बिल ऑफ एंट्री की /डाक पार्सल /कुरियर लिफाफे (संलग्न) की प्रतिलिपि बाद में जमा कर देगा , आवेदक/आवेदकों को सीधे प्राप्त होने पर उन्हें जमा करने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला भुगतान है ।**	
	(v)		**दुसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये दस्तावेज कस्टम -विभाग की मुहर लगी विदेशी मुद्रा नियंत्रण की बिल ऑफ एंट्री की /डाक पार्सल /कुरियर लिफाफे (संलग्न) आवेदक/आवेदकों को सीधे प्राप्त होने पर उन्हें जमा करने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला भुगतान है ।**	
	(vi)		----------	

			(स्पष्ट किया जानेवाला अन्य कोई मामला)

(ख)	विप्रेषण के लिए लागू विदेशी मुद्रा नियंत्रण के सभी विनियमों का अनुपालन किया गया है ।		
(ग)	माल की आपूर्ति के लिए आपूर्ति कर्ता को का भुगतान	---------- (विदेशी बैंक का नाम व पता)	*द्वारा कर दिया वगया है *कर दिया जायेगा

हम यह भी प्रमाणित करते हैं / वचन देते हैं कि कस्टम -विभाग की मुहर लगी बिल ऑफ एंट्री की /डाक पार्सल /कुरियर लिफाफा आदि

*	तीन माह के भीतर हमारे द्वारा सत्यापित कर लिए जायेंगे । [उपर्युक्त प्रमाणपत्र (क) (ii) और (iii) द्वारा]
*	सत्यापन कर लिया गया है । [उपर्युक्त प्रमाणपत्र (क) (v) द्वारा]
*	आवेदक/आवेदकों से तीन माह के भीतर प्राप्त कर लिए जायेंगे । [उपर्युक्त प्रमाणपत्र (क) (i) और (iv) द्वारा]

		प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
मुहर		प्राधिकृत अधिकारी का नाम ---------- पदनाम----------
		प्राधिकृत व्यापारी का नाम व पता---------- ----------
तारीख ----------		

- जो मद लागू न हों उन्हें काट दें ।

--- **फार्म ए 1-विदेशी मुद्रा में विप्रेषण के लिए आवेदनपत्र** **(सफेद कागज पर छपवाया जाये)**		
संख्या		ए.डी.कोड
संख्या		फार्म (प्राधिकृत व्यापारी द्वारा भरा जाये)
फार्म ए 1 **(केवल आयात भुगतान हेतु)**		**क्रमांक**
संख्या	-------------------------------	**(भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयोगार्थ)**
विदेशी मुद्रा में विप्रेषण के लिए आवेदनपत्र **रुपये -------------------राशि**		**रुपये -------------------राशि के समतुल्य की करेंसी प्रेषित ।** **(प्राधिकृत व्यापारी द्वारा भरा जाये)**

मैं/ हम , भारत में आयात किये गये माल , जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है , ----------------------- ---(विप्रेषण के हिताधिकारी का नाम व पता) को आयात मूल्य का भुगतान करने के लिए ----------------- --------------------- के माध्यम से (प्राधिकृत व्यापारी का नाम व पता) ----------------------------------- (राशि शब्दों में) की की विदेशी मुद्रा ---(करेंसी का नाम) खरीदना चाहते हैं ।

भारत में आयात किये गये अथवा किये जाने वाले माल के ब्यौरे

सेक्शन-अ - आयात लाइसेंस के ब्यौरे

आयात लाइसेंस							जारी करने की तारीख			समाप्ति तारीख			लाइसेंस का अंकित मूल्य	परांकित की जाने वाली राशि (रु.) @
प्रीफिक्स		लाइसेंस नं.	सफिक्स											
1	2		1	2	4	5	तारीख	माह	वर्ष	तारीख	माह	वर्ष		

@ प्रत्येक लाइसेंस में के लिए रुपयों मे परांकित की जाने वाली वास्तविक राशि इस कॉलम में दर्शायी जाये ।

टिप्पणी : यदि एक से अधिक लाइसेंस हों, तो लाइसेंस के ब्योरे दिये जायें । यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग से विवरण दिया जाये । प्रत्येक लाइसेंस में प्रयुक्त राशि दर्शायी जाये।

सेक्शन-आ - आयात के ब्यौरे

बीजक के ब्यौरे				माल की मात्रा	माल का ब्योरा	वर्गीकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली	किस देश का माल है	किस देश से माल भेजा गया है	माल के शिपमेंट का साधन(वायुयान, जलयान, डाक, रेलवे, नौका, ट्रक, बंदरगाह) मात्रा	शिपमेंट की तारीख
क्रमांक व तारीख	शर्तें (सं.एफओबी, सी एंड एफ आदि)	करेंसी	राशि							

सेक्शन-इ - अन्य ब्यौरे

1.	**आयात संविदा के तहत बुक किये गये वायदा क्रय संविदा के ब्योरे**	**संविदा की संख्या तथा तारीख**	**संविदा की राशि तथा करेंसी**	**आयात संविदा के तहत अवशेष**
2.	**यदि विप्रेषण की राशि बीजक की राशि से कम हो तो उसके कारण (आंशिक विप्रेषण, किस्त आदि)**			

मैं/ हम घोषित करता हूँ/ करते हैं कि इस फार्म में किये गये कथन सत्य और सही हैं और मैनें /हमने अधिकारपत्र जारी करने हेतु किसी अन्य बैंक के जरिये आवेदनपत्र नहीं दिया है ।

मैं/ हम जानता और समझता हूँ/ जानते और समझते हैं कि इस आवेदनपत्र के द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा जिस प्रयोजन हेतु ली गयी है , उसी पर व्यय की जायेगी और जिन शर्तों के अधीन दी गयी है , उनका अनुपालन किया जायेगा ।

		आवेदक /प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
मुहर	@	आवेदक का नाम व पता ----------
		आयातक का कोड नंबर ----------
	@	राष्ट्रीयता ----------
तारीख ----------	@	साफ अक्षरों में भरा जाये ----------

टिप्पणी : मध्यवर्ती व्यापार हेतु किये जाने वाले विप्रेषणों के लिए फॉर्म अ 2 प्रयोग में लाया जाये ।

आवेदक द्वारा दिया जाने वाला घोषणापत्र

मैं/ हम घोषित करता हूँ/ करते हैं कि

(क) आयात लाइसेस जिस पर / जिन पर विप्रेषण मागा गया है, वैध है और विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा निरस्त नहीं किया गया है ।

(ख) माल जिससे कि यह आवेदनपत्र संबंधित है, हमारी जिम्मेदारी पर भारत को आयात कर दिया गया है */आयात कर दिया जायेगा */।

(ग) आयात @----------की ओर से किया जा रहा है और

(घ) माल की बीजक में अंकित कीमत जो कि इस फॉर्म में घोषित की गयी है , भारत में

<table>
<tr><td><u>*आयात की गयी</u>
* आयात की जाने वाली</td><td colspan="2">माल की वास्तविक कीमत है ।</td></tr>
<tr><td rowspan="3">यदि आयात किया गया है</td><td rowspan="3">मैं /हम इसके साथ प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत कर रहे हैं ।</td><td>कस्टम विभाग की मुहर लगे संबंधित बिल ऑफ एंट्री * की प्रति</td></tr>
<tr><td>_____</td></tr>
<tr><td>डाक पार्सल लिफाफा (डाक द्वारा आयात के लिए) * /कुरियर(/कुरियर द्वारा आयात के लिए) अथवा</td></tr>
<tr><td rowspan="3">यदि आयात किया जाना है</td><td rowspan="3">मैं वचन देता हूँ/हम वचन देते हैं कि तीन माह के भीतर प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत कर देंगे ।</td><td>कस्टम विभाग की मुहर लगे संबंधित बिल ऑफ एंट्री * की प्रति</td></tr>
<tr><td>_____</td></tr>
<tr><td>डाक पार्सल लिफाफा (डाक द्वारा आयात के लिए) * /कुरियर(/कुरियर द्वारा आयात के लिए) अथवा</td></tr>
</table>

जो मदें लागू न हों , उन्हें काट दें ।

@ जहाँ आयात केंद्र/ राज्य सरकार के विभाग अथवा केंद्र/ राज्य सरकार/सांविधिक निगम, स्थानीय निकाय के स्वामित्व वाली कंपनी की ओर से किया जा रहा हो , सरकार के विभाग , निगम आदि के नाम का उल्लेख किया जाये ।

तारीख:----------		---------- (आवेदक /प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

प्राधिकृत व्यापारी के अभिमत के लिए स्थान

भारतीय रिजर्व बैंक को अनुमोदन हेतु आवेदनपत्र भेजते समय विदेशी मुद्रा नियंत्रण मैनुअल के पैराग्राफ/ एडी परिपत्र आदि संदर्भ जिनके अंतर्गत मामला प्रेषित किया गया है , उनका अनिवार्यतया उल्लेख किया जाये ।यदि कोई विप्रेषण आवेदनपत्र एक ही आयात के लिए , भारतीय रिजर्व बैंक को पहले ही भेजा जा चुका हो तो लिखे गये अंतिम पत्र/ अनुमोदन का भी उल्लेख किया जाए ।)

		प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
मुहर		प्राधिकृत व्यापरी का नाम व पता ----------
तारीख ----------		

प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा जमा किया जानेवाला प्रमाणपत्र (आयातक का बैंक)

हम प्रमाणित करते हे हैं कि ;

(क) यह भुगतान

उपयुक्त खाने में सही का निशान लगायें	(i)		**यह एक अग्रिम भुगतान है ।**	
	(ii)		**हमारे द्वारा जारी साखपत्र के तहत बिल का भुगतान है ।**	
	(iii)		**हन्मारे माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों पर भुगतान है ।**	
	(iv)		**आवेदक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करने पर कि वह तीन माह के भीतर कस्टम - विभाग की मुहर लगी विदेशी मुद्रा नियंत्रण की बिल ऑफ एंट्री की /डाक पार्सल /कुरियर लिफाफे (संलग्न) की प्रतिलिपि बाद में जमा कर देगा , आवेदक/आवेदकों को सीधे प्राप्त होने पर उन्हें जमा करने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला भुगतान है ।**	

	(v)		**दूसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये दस्तावेज कस्टम -विभाग की मुहर लगी विदेशी मुद्रा नियंत्रण की बिल ऑफ एंट्री की /डाक पार्सल /कुरियर लिफाफे (संलग्न) आवेदक/आवेदकों को सीधे प्राप्त होने पर उन्हें जमा करने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला भुगतान है ।**	
	(vi)		_____ (स्पष्ट किया जाने वाला अन्य कोई मामला)	

(ख)	विप्रेषण के लिए लागू विदेशी मुद्रा नियंत्रण के सभी विनियमों का अनुपालन किया गया है ।		
(ग)	माल की आपूर्ति के लिए आपूर्ति कर्ता को का भुगतान	---------- (विदेशी बैंक का नाम व पता)	*द्वारा कर दिया वगया है *कर दिया जायेगा

हम यह भी प्रमाणित करते हैं / वचन देते हैं कि कस्टम -विभाग की मुहर लगी बिल ऑफ एंट्री की /डाक पार्सल /कुरियर लिफाफा आदि

*	**तीन माह के भीतर हमारे द्वारा सत्यापित कर लिए जायेंगे ।** **[उपर्युक्त प्रमाणपत्र (क) (ii) और (iii) द्वारा]**
*	**सत्यापन कर लिया गया है ।** **[उपर्युक्त प्रमाणपत्र (क) (v) द्वारा]**
*	**आवेदक/आवेदकों से तीन माह के भीतर प्राप्त कर लिए जायेंगे ।** **[उपर्युक्त प्रमाणपत्र (क) (i) और (iv) द्वारा]**

		प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
मुहर		प्राधिकृत अधिकारी का नाम ---------- पदनाम----------
		प्राधिकृत व्यापारी का नाम व पता---------- ----------
तारीख ----------		

- जो मदें लागू न हों उन्हें काट दें ।

फार्म ए 1-एशियन क्लीयरिंग यूनियन के जरिये भुगतान के लिए आवेदनपत्र **(हल्के पीले कागज पर छपवाया जाये)**		
संख्या		ए.डी.कोड
संख्या		फार्म (प्राधिकृत व्यापारी द्वारा भरा जाये)
फार्म ए 1 **(केवल आयात भुगतान हेतु)**		**क्रमांक**
संख्या	----------	**(भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयोगार्थ)**
विदेशी मुद्रा में विप्रेषण के लिए आवेदनपत्र **रुपये ----------राशि**		**रुपये ----------राशि के समतुल्य की करेंसी प्रेषित ।** **(प्राधिकृत व्यापारी द्वारा भरा जाये)**

मैं/ हम , भारत में आयात किये गये माल , जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है , ----------

----------(विप्रेषण के हिताधिकारी का नाम व पता) को आयात मूल्य का भुगतान करने के लिए ---------- ---------- के माध्यम से (प्राधिकृत व्यापारी का नाम व पता) ---------- (राशि शब्दों में) की की विदेशी मुद्रा ----------

----------(करेंसी का नाम) खरीदना चाहते हैं ।

भारत में आयात किये गये अथवा किये जाने वाले माल के ब्यौरे

सेक्शन-अ - आयात लाइसेंस के ब्यौरे

आयात लाइसेंस							**जारी करने की तारीख**			**समाप्ति तारीख**			**लाइसेंस का अंकित मूल्य**	**परांकित की जाने वाली राशि (रु.) @**
प्रीफिक्स		**लाइसेंस नं.**	**सफिक्स**											
1	**2**		**1**	**2**	**4**	**5**	**तारीख**	**माह**	**वर्ष**	**तारीख**	**माह**	**वर्ष**		

@ प्रत्येक लाइसेंस में के लिए रुपयों मे परांकित की जाने वाली वास्तविक राशि इस कॉलम में दर्शायी जाये ।

टिप्पणी : यदि एक से अधिक लाइसेंस हों, तो लाइसेंस के ब्योरे दिये जायें । यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग से विवरण दिया जाये । प्रत्येक लाइसेंस में प्रयुक्त राशि दर्शायी जाये।

सेक्शन-आ - आयात के ब्यौरे

बीजक के ब्यौरे				माल की मात्रा	माल का ब्योरा	वर्गीकरण की समानतापूर्ण प्रणाली	किस देश का माल है	किस देश से माल भेजा गया है	माल के शिपमेंट का साधन(वायुयान, जलयान, डाक, रेलवे, नौका, ट्रक, बंदरगाह) मात्रा	शिपमेंट की तारीख(यदि तारीक घात न हो तो अनुमान से लिखी जाये)
क्रमांक व तारीख	शर्ते (सं.एफओबी, सी एंड एफ आदि)	करेंसी	राशि							

सेक्शन-इ - अन्य ब्यौरे

1.	आयात संविदा के तहत बुक किये गये वायदा क्रय संविदा के ब्योरे	---------- संविदा का क्रमांक तथा तारीख	---------- संविदा की राशि तथा करेंसी	---------- आयात संविदा के तहत अवशेष
2.	यदि विप्रेषण की राशि बीजक की राशि से कम हो तो उसके कारण (आंशिक विप्रेषण, किस्त आदि)	----------		

मैं/ हम घोषित करता हूँ/ करते हैं कि इस फार्म में किये गये कथन सत्य और सही हैं और मैनें /हमने किसी अन्य बैंक के जरिये अधिकार पत्र जारी करने हेतु आवेदनपत्र नहीं दिया है ।

मैं/ हम जानता और समझता हूँ/ जानते और समझते हैं कि इस आवेदनपत्र पर एशियन क्लीयरिंग यूनियन के जरिये मुझे/ हमें किये गये भुगतान से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा जिस प्रयोजन हेतु ली गयी है, उसी पर व्यय की जायेगी और जिन शर्तों के अधीन दी गयी है, उनका अनुपालन किया जायेगा ।

		आवेदक /प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
मुहर	@	आवेदक का नाम व पता ----------
		आयातक का कोड नंबर ----------
	@	राष्ट्रीयता ----------
तारीख ----------	@	साफ अक्षरों में भरा जाये ----------

टिप्पणी : मध्यवर्ती व्यापार हेतु किये जाने वाले विप्रेषणों के लिए फॉर्म अ 2 प्रयोग में लाया जाये ।

आवेदक द्वारा दिया जाने वाला घोषणापत्र

मैं/ हम घोषित करता हूँ/ करते हैं कि

(i) आयात लाइसेस जिस पर / जिन पर विप्रेषण मागा गया है, वैध है और विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा निरस्त नहीं किया गया है ।

(ii) माल जिससे कि यह आवेदनपत्र संबंधित है, हमारी जिम्मेदारी पर भारत को आयात कर दिया गया है */आयात कर दिया जायेगा */।

(iii) आयात @----------की ओर से किया जा रहा है और

(iv) माल की बीजक में अंकित कीमत जो कि इस फॉर्म में घोषित की गयी है , भारत में

*आयात की गयी * आयात की जाने वाली	**माल की वास्तविक कीमत है ।**

मैं /हम इसके साथ संबंधित कस्टम विभाग की मुहर लगे बिल ऑफ एंट्री * की प्रति प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत कर रहे हैं ।

यदि आयात आयात किया जाने वाला सामान लिफाफों में बंद कर दिया गय है तो — डाक पार्सल लिफाफा (डाक द्वारा आयात के लिए) * /कुरियर(/कुरियर द्वारा आयात के लिए) अथवा

मैं वचन देता हूँ/हम वचन देते हैं कि संबंधित कस्टम विभाग की मुहर लगे बिल ऑफ एंट्री * की प्रति तीन माह के भीतर प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत कर देंगे ।

यदि आयात किया जाना है — डाक पार्सल लिफाफा (डाक द्वारा आयात के लिए) * /कुरियर(/कुरियर द्वारा आयात के लिए) अथवा

जो मदें लागू न हों , उन्हें काट दें ।

@ जहाँ आयात केंद्र/ राज्य सरकार के विभाग अथवा केंद्र/ राज्य सरकार/सांविधिक निगम, स्थानीय निकाय के स्वामित्व वाली कंपनी की ओर से किया जा रहा हो , सरकार के विभाग , निगम आदि के नाम का उल्लेख किया जाये ।

तारीख ----------

(आवेदक /प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

प्राधिकृत व्यापारी के अभिमत के लिए स्थान

भारतीय रिजर्व बैंक को अनुमोदन हेतु आवेदनपत्र भेजते समय विदेशी मुद्रा नियंत्रण मैनुअल के पैराग्राफ/ एडी परिपत्र आदि संदर्भ जिनके अंतर्गत मामला प्रेषित किया गया है , उनका अनिवार्यतया उल्लेख किया जाये ।यदि कोई विप्रेषण आवेदनपत्र एक ही आयात के लिए भेजा भारतीय रिजर्व बैंक को पहले ही भेजा जा चुका हो तो लिखे गये अंतिम पत्र/ अनुमोदन का उल्लेख किया जाए ।

		प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
मुहर		प्राधिकृत व्यापारी का नाम व पता ----------
तारीख ----------		

प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा जमा किया जानेवाला प्रमाणपत्र (आयातक का बैंक)

हम प्रमाणित करते हे हैं कि ;

(क) यह भुगतान

उपयुक्त खाने में सही का निशान लगायें	(i)		**यह एक अग्रिम भुगतान है ।**	
	(ii)		**हमारे द्वारा जारी साखपत्र के तहत बिल का भुगतान है ।**	
	(iii)		**हन्मारे माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों पर भुगतान है ।**	
	(iv)		**आवेदक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करने पर कि वह तीन माह के भीतर कस्टम - विभाग की मुहर लगी विदेशी मुद्रा नियंत्रण की बिल ऑफ एंट्री की /डाक पार्सल /कुरियर लिफाफे (संलग्न) की प्रतिलिपि बाद में जमा कर देगा , आवेदक/आवेदकों को सीधे प्राप्त होने पर उन्हें जमा करने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला भुगतान है ।**	
	(v)		**दूसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये दस्तावेज कस्टम -विभाग की मुहर लगी विदेशी मुद्रा नियंत्रण की बिल ऑफ एंट्री की /डाक पार्सल /कुरियर लिफाफे (संलग्न) आवेदक/आवेदकों को सीधे प्राप्त होने पर उन्हें जमा करने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला भुगतान है ।**	
	(vi)			

(स्पष्ट किया जानेवाला अन्य कोई मामला)

(ख)	विप्रेषण के लिए लागू विदेशी मुद्रा नियंत्रण के सभी विनियमों का अनुपालन किया गया है ।		
(ग)	माल की आपूर्ति के लिए आपूर्ति कर्ता को का भुगतान	---------- (विदेशी बैंक का नाम व पता)	*द्वारा कर दिया वगया है *कर दिया जायेगा

हम यह भी प्रमाणित करते हैं / वचन देते हैं कि कस्टम -विभाग की मुहर लगी बिल ऑफ एंट्री की /डाक पार्सल /कुरियर लिफाफा आदि

*	**तीन माह के भीतर हमारे द्वारा सत्यापित कर लिए जायेंगे ।** **[उपर्युक्त प्रमाणपत्र (क) (ii) और (iii) द्वारा]**
*	**सत्यापन कर लिया गया है ।** **[उपर्युक्त प्रमाणपत्र (क) (v) द्वारा]**
*	**आवेदक/आवेदकों से तीन माह के भीतर प्राप्त कर लिए जायेंगे ।** **[उपर्युक्त प्रमाणपत्र (क) (i) और (iv) द्वारा]**

		प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
मुहर		पदनाम----------
		प्राधिकृत व्यापारी का नाम व पता---------- ----------
तारीख ----------		

- जो मदें लागू न हों उन्हें काट दें ।

प्राधिकृत व्यापारी के अभिमत के लिए स्थान

भारतीय रिजर्व बैंक को अनुमोदन हेतु आवेदनपत्र भेजते समय विदेशी मुद्रा नियंत्रण मैनुअल के पैराग्राफ/ एडी परिपत्र आदि संदर्भ जिनके अंतर्गत मामला प्रेषित किया गया है , उनका अनिवार्यतया उल्लेख किया जाये ।यदि कोई विप्रेषण आवेदनपत्र एक ही आयात के लिए भेजा भारतीय रिजर्व बैंक को पहले ही भेजा जा चुका हो तो लिखे गये अंतिम पत्र/ अनुमोदन का उल्लेख किया जाए ।

		प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
मुहर		प्राधिकृत व्यापारी का नाम व पता ----------
तारीख ----------		

प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा जमा किया जानेवाला प्रमाणपत्र (आयातक का बैंक)

हम प्रमाणित करते हे हैं कि ;

(क) यह भुगतान

उपयुक्त खाने में सही का निशान लगायें	(i)		**यह एक अग्रिम भुगतान है ।**	
	(ii)		**हमारे द्वारा जारी साखपत्र के तहत बिल का भुगतान है ।**	
	(iii)		**हन्मारे माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों पर भुगतान है ।**	
	(iv)		**आवेदक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करने पर कि वह तीन माह के भीतर कस्टम - विभाग की मुहर लगी विदेशी मुद्रा नियंत्रण की बिल ऑफ एंट्री की /डाक पार्सल /कुरियर लिफाफे (संलग्न) की प्रतिलिपि बाद में जमा कर देगा , आवेदक/आवेदकों को सीधे प्राप्त होने पर उन्हें जमा करने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला भुगतान है ।**	
	(v)		**दूसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये दस्तावेज कस्टम -विभाग की मुहर लगी विदेशी मुद्रा नियंत्रण की बिल ऑफ एंट्री की /डाक पार्सल /कुरियर लिफाफे (संलग्न) आवेदक/आवेदकों को सीधे प्राप्त होने पर उन्हें जमा करने के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला भुगतान है ।**	
	(vi)			

(स्पष्ट किया जानेवाला अन्य कोई मामला)

(ख)	विप्रेषण के लिए लागू विदेशी मुद्रा नियंत्रण के सभी विनियमों का अनुपालन किया गया है ।		
(ग)	माल की आपूर्ति के लिए आपूर्ति कर्ता को का भुगतान	---------- (विदेशी बैंक का नाम व पता)	*द्वारा कर दिया वगया है *कर दिया जायेगा

हम यह भी प्रमाणित करते हैं / वचन देते हैं कि कस्टम -विभाग की मुहर लगी बिल ऑफ एंट्री की /डाक पार्सल /कुरियर लिफाफा आदि

*	**तीन माह के भीतर हमारे द्वारा सत्यापित कर लिए जायेंगे ।** **[उपर्युक्त प्रमाणपत्र (क) (ii) और (iii) द्वारा]**
*	**सत्यापन कर लिया गया है ।** **[उपर्युक्त प्रमाणपत्र (क) (v) द्वारा]**
*	**आवेदक/आवेदकों से तीन माह के भीतर प्राप्त कर लिए जायेंगे ।** **[उपर्युक्त प्रमाणपत्र (क) (i) और (iv) द्वारा]**

		प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
मुहर		पदनाम----------
		प्राधिकृत व्यापारी का नाम व पता---------- ----------
तारीख ----------		

- जो मदें लागू न हों उन्हें काट दें ।

अनुबंध- 5

विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000

जीएसआर 381 (E)मई 3, 2000 (समय- समय पर यथासंशोधित)* :- केंद्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 5 और धारा 46 की उप-धारा (1) और (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श से लोक हित में इस आवश्यक समझते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात;

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

(1) इन नियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियम, 2000 कहा जाए।

(2) ये 1 जून 2000 को प्रभावी होंगे ।

2. परिभाषाएं :- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ;

(क) " अधिनियम" से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) अभिप्रेत है ;

(ख) "आहरण" से किसी प्राधिकृत व्यक्ति से विदेशी मुद्रा का आहरण अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत साख पत्र लेना या अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड या अंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड या किसी अन्य वस्तु, चाहे उसका कोई भी नाम हो और जिससे विदेशी मुद्रा दायित्व उत्पन्न होता है, का प्रयोग भी सम्मिलित है;

(ग) "अनुसूची" से इन नियमों से संलगन अनुसूची अभिप्रेत है;

(घ) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. विदेशी मुद्रा आहरण पर प्रतिबंध : किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा आहरण निषिद्ध है , अर्थात्

क) अनुसूची I में विनिर्दिष्ट कोई लेनदेन; या

ख) नेपाल और / या भूटान में यात्रा; या

ग) नेपाल या भूटान के निवासी व्यक्ति के साथ कोई लेनदेन;

परंतु खंड (ग) के निषेध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, ऐसे निबंधन और शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें अनुबद्ध करना वह आवश्यक समझे, विशेष या साधारण आदेश द्वारा छूट दे सकेगा ।

4. भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन :- कोई व्यक्ति भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुसूची II में सम्मिलित किसी लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा आहरित नहीं करेगा; परंतु यह नियम वहाँ लागू नहीं होगा, जहाँ भुगतान प्रेषक के रेजिडेंट फॉरेन करेंसी (आरएफसी) खाते में धारित निधि से किया जाता है ।

5. रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन :- कोई भी व्यक्ति रिज़र्व बैंक के पुर्व अनुमोदन के बिना अनुसूची III में सम्मिलित किसी संव्यवहार के लिए विदेशी मुद्रा नहीं लेगा ;परंतु यह नियम वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ भुगतान प्रेषक के रेज़िडेंट फॉरेन करेंसी (आरएफसी) खाते में धारित निधि से किया जाता है;

6. (1) नियम 4 या 5 की कोई बात, प्रेषक के एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी (ईईएफसी) खाते में धारित निधियों में से आहरण, लागू नहीं होगी।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, नियम 4 या नियम 5 के अधीन लगाए गए प्रतिबंध वहाँ लागू रहेंगे जहाँ एक्स्चेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी (ईईएफसी) खाते से आहरण को

यथास्थिति अनुसूची II की मद 10 और 11 या अनुसूची III की मद 3,4,11,16 और 17 में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए है ।

7. भारत के बाहर रहते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग

भारत के बाहर दौरे पर रहते समय किसी व्यक्ति द्वारा अपने खर्चे के भुगतान के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर नियम 5 में दी गई कोई भी शर्त लागू नहीं होगी।

अनुसूची - 1
निषिद्ध लेनदेन
(नियम 3 देखिए)

1. लाटरी की जीत में से प्रेषण ।
2. घुड़दौड़ / घुड़सवारी आदि या किसी अन्य अभिरुचि से उत्पन्न आय से प्रेषण ।
3. लाटरी टिकट, निषिद्ध/अभिनिषिद्ध पत्रिका के व्यय के लिए फ़ुटबाल पूल दांव लगाने आदि के लिए प्रेषण ।
4. भारतीय कंपनियों की विदेशों में संयुक्त वेंचर/संपूर्ण स्वामित्व समानुषंगियों में इक्विटी निवेश के लिए किए गए निर्यात पर दलाली का भुगतान ।
5. किसी कंपनी द्वारा लाभांश, जिसके लिए शेष लाभांश की अपेक्षा भी लागू है, से प्रेषण ।
6. चाय और तंबाकू के बीजक मूल्य के 10 प्रतिशत तक के कमीशन के सिवाय रुपए स्टेट क्रेडिट रूट के अधीन निर्यात पर दलाली का भुगतान ।
7. दूरभाषा के "काल बैक सर्विसेज़" से संबंधित भुगतान ।
8. अनिवासी विशेष रुपए खाते (एनआरएसआर) में रखी निधियों पर ब्याज की आय से प्रेषण।

अनुसूची - II

केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन की अपेक्षा रखनेवाले लेनदेन

(नियम 4 देखिए)

प्रेषण का प्रयोजन	भारत सरकार का मंत्रालय/विभाग जिसका अनुमोदन अपेक्षित है ।
1. सांस्कृतिक यात्राएं	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग)
2. किसी राज्य सरकार या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पर्यटन, विदेशी निवेश और अंतरराष्ट्रीय बोली (10,000 अमरीकी डॉलर से अधिक) से भिन्न प्रयोजन के लिए विदेशी प्रिंट मीडिया में विज्ञापन	वित्त मंत्रालय,(आर्थिक कार्य विभाग)
3. सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भाड़े पर लिए गए जलयान के माल भाड़े से प्रेषण	भूतल परिवहन मंत्रालय (माल भाड़ा स्कंध)
4. सरकारी विभाग या सीआईएफ पर आधारित (जैसे एफओबी और एफएएस पर आधारित को छोड़कर) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा आयात पर भुगतान	भूतल परिवहन मंत्रालय (माल भाड़ा स्कंध)
5. अपने विदेश स्थित अभिकर्ताओं को प्रेषण करने वाले बहुविध परिवहन संचालक	पोत परिवहन महानिदेशक से पंजीकरण प्रमाण पत्र
6. टीवी चैनल और इंटरनेट सेवा देने वाले द्वारा ट्रांसपॉडर का भाड़ा #	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
7. पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर कंटेनर रोक रखने का प्रभार	भूतल परिवहन मंत्रालय (पोत परिवहन महानिदेशक)
8. ऐसे तकनीकी सहयोग करारों के अधीन प्रेषण, जहाँ स्वामित्व का भुगतान स्थानीय विक्रय पर 5 प्रतिशत और निर्यात पर 8 प्रतिशत से अधिक है और एक मुश्त राशि का भुगतान 2 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक है ।	उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय
9. यदि रकम 1,00,000 अमरीकी डॉलर से अधिक है तब अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तर के खेल निकायों को छोड़कर किसी व्यक्ति द्वारा विदेश में खेल के क्रियाकलापों के पुरस्कार धन/प्रायोजन का प्रेषण ।	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा मामले और खेल विभाग)
10. हटा दिया गया	
11. पी एण्ड आई क्लब की सदस्यता के लिए प्रेषण ।	वित्त मंत्रालय (बीमा प्रभाग)

अनुसूची III
(नियम 5 देखिए)

1. हटा दिया गया
2. किसी देश (नेपाल और भूटान को छोड़कर) में एक या अधिक निजी यात्रा के लिए एक कलैंडर वर्ष में 10, 000 अमरीकी डॉलर उसके समतुल्य से अधिक मुद्रा का आहरण।
3. @प्रतिवर्ष प्रति प्रेषक / दाता, **5000** अमरीकी डॉलर से अधिक का दान प्रेषण।
4. #प्रतिवर्ष प्रति प्रेषक/दाता **5000** अमरीकी डॉलर से अधिक का भुगतान।
5. रोज़गार के लिए विदेश जा रहे व्यक्तियों के लिए **100,000** अमरीकी डॉलर से अधिक मुद्रा सुविधाएं ।
6. **100,000** अमरीकी डॉलर से अधिक या उत्प्रवास के देश में निर्धारित उत्प्रवास रकम के लिए मुद्रा सुविधाएं ।
7. विदेश में रह रहे नज़दीकी रिश्तेदारों के भरण पोषण के लिए प्रेषण :
   (i) जो निवासी है किंतु भारत में स्थायी रूप से नहीं रहता है उसका निवल वेतन से अधिक (कर, भविष्य निधि में अंशदान और अन्य कटौतियों के बाद) और

   (क) कोई व्यक्ति, जो पाकिस्तान से भिन्न किसी दूसरे देश का नागरिक है,
   (ख) भारत का नागरिक हैं वह ऐसी विदेशी कंपनी के भारत स्थित के किसी कार्यालय अथवा शाखा अथवा सहायक कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम में प्रतिनियुक्ति पर है ।

   (ii) अन्य मामलों में प्रति प्राप्तिकर्ता **100,000** अमरीकी डॉलर प्रति वर्ष से अधिक।

   स्पष्टीकरण : *इस मद के प्रयोजन के लिए, किसी विनिर्दिष्ट अवधि हेतु अपने प्रतिनियुक्ति पर (उसकी अवधि की लंबाई पर ध्यान दिए बिना) या किसी विनिर्दिष्ट कार्य के लिए या कर्तव्यभार के लिए भारत में निवासी कोई व्यक्ति जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होती है, निवासी है किंतु स्थायी तौर पर निवासी नहीं है ।*

8. किसी व्यक्ति को, रुकने की अवधि पर विचार न करते हुए, कारोबार यात्रा या किसी सम्मेलन में सहभागी होने या विशेष प्रशिक्षण या चिकित्सीय उपचार के लिए विदेश जाने वाले रोगी के खर्चों को वहन करने या विदेश में स्वास्थ की जाँच कराने या चिकित्सीय उपचार/जाँच पड़ताल के लिए विदेश जानेवाले रोगी के साथ सहायक के रूप में रहने के लिए **25,000** अमरीकी डॉलर से अधिक की विदेशी मुद्रा जारी करना ।
9. विदेश में चिकित्सीय उपचार के खर्चों को पूरा करने के लिए भारत में चिकित्सक या विदेशी अस्पताल/चिकित्सक द्वारा दिए गए अनुमान से अधिक मुद्रा जारी करना ।
10. विदेश में पढ़ने के लिए विदेशी संस्थान के प्राक्कलनों से अधिक या **100,000** अमरीकी डॉलर "प्रति शैक्षणिक वर्ष" जो भी अधिक हो, मुद्रा जारी करना ।
11. भारत में रहने के लिए फ़्लैटों/वाणिज्यिक प्लॉटों के विक्रय के लिए **25,000** अमरीकी डालर या 5 प्रतिशत से अधिक आवक प्रेषण प्रति लेनदेन जो भी अधिक हो, के लिए विदेश के एजेंट को कमीशन ।
12. हटा दिया गया
13. हटा दिया गया

14. हटा दिया गया

15. विदेशी से बाहर से प्राप्त की गई परामर्शी सेवाओं के लिए **1,00,000** अमरीकी डालर से अधिक का प्रेषण ।

16. भारत में व्यापार चिह्न /विशेषाधिकार के उपयोग और / या क्रय करने के लिए विप्रेषण ।

17. *पूर्व निगमन व्यय के संवितरण के द्वारा भारत में किसी कंपनी द्वारा **1,00,000** अमरीकी डॉलर से अधिक प्रेषण।

18. हटा दिया गया

* **(संशोधन)**

17 अगस्त 2000 की अधिसूचना जीएसआर.663(ई),30 मार्च 2001की अधिसूचना एस.ओ.301(ई),
17 दिसंबर, 2002 की अधिसूचना जी.एस.आर. 831(ई।16 जनवरी 2003 की अधिसूचना जी.एस.आर.33(ई)
14 मई 2003 की अधिसूचना जी.एस.आर. 397(ई) ,11 सितंबर 2003 की अधिसूचना जी.एस.आर. 731(ई)
29 अक्तूबर 2003 की अधिसूचना जी.एस.आर. 849(ई। 13 सितंबर 2004 की अधिसूचना जी.एस.आर. 608(ई),28 जुलाई 2005 की अधिसूचना जी.एस.आर. 512(ई)
11 जुलाई 2006 की अधिसूचना जी.एस.आर. 412(ई)

कृपया नोट करें :

@ 20 दिसंबर 2006 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.24 द्वारा संशोधित

20 दिसंबर 2006 और 30 अप्रैल 2007 द्वारा क्रमशः ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.24 और 45 द्वारा संशोधित

ग़ 30 अप्रैल 2007 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.46 द्वारा संशोधित

* 30 अप्रैल 2007 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.47 द्वारा संशोधित

अनुबंध

मास्टर परिपत्र में समेकित किए गए परिपत्रों की सूची :

1	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	15	31 मई 1993
2	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	4	27 अगस्त 2001
3	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	5	27 अगस्त 2001
4	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	6	24 सितंबर, 2001
5	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	9	25 अक्तूबर 2001
6	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	10	1नवंबर 2001
7	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	20	28 जनवरी 2001
8	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	30	26 मार्च 2001
9	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	34	1 अप्रैल 2002
10	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	35	1 अप्रैल 2002
11.	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	38	12अप्रैल 2002
12.	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	53	27 जून 2002
13.	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	54	29 जून 2002
14.	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	2	जुलाई 2002
15	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	10	अगस्त 14,2002
16	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	11	अगस्त 14,2002
17	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	12	अगस्त 28,2002
18	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	21	सितंबर 16 ,2002
19	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	28	अक्तूबर 3 ,2002
20	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	33	अक्तूबर 23,2002
21	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	34	अक्तूबर 31,2002
22	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	41	नवंबर 08 ,2002
23	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	61	दिसंबर 14,2002
24	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	62	दिसंबर 17,2002
25	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	78	फरवरी 14, 2003

26	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	91	अप्रैल 01, 2003
27	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	94	अप्रैल 26, 2003
28	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	100	मई 02, 2003
29	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	104	मई 31, 2003
30	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	105	जून 16, 2003
31	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	8	अगस्त 16, 2003
32	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	12	अगस्त 20, 2003
33	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	20	सितंबर 23, 2003
34	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	22	सितंबर 24, 2003
35	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	26	अक्तूबर 03, 2003
36	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	30	अक्तूबर 21, 2003
37	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	32	अक्तूबर 28, 2003
38	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	40	दिसंबर 05, 2003
39	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	61	जनवरी 31, 2004
40	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	68	फरवरी 11, 2004
41	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	73	फरवरी 20, 2004
42	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	94	जून 07, 2004
43	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	96	जून 17,2004
44	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	97	जून 21, 2004
45	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	9	सितंबर 01, 2004
46	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	10	सितंबर 13, 2004
47	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	25	नवंबर 01, 2004
48	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	21	जनवरी 10, 2006
49	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	31	अपड्रैल 21, 2006
50	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	32	अप्रैल 21, 2006
51	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	15	नवंबर 30 , 2006
52	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	18	दिसंबर 04, 2006
53	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	26	जनवरी 08,2007

54	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	33	जनवरी 08 ,2007
55	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	34	,फरवरी 28, 2007
56	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	37	मार्च 02 ,2007
57	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	63	अप्रैल 05 2007
58	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	77	मई 25 ,2007
59	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	18	जून 29,2007
60	एपी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.	37	नवंबर 07,2007